



**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद**  
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

**एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टरल अध्येतावृत्ति-2020**

शिक्षा और शिक्षा से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले क्षेत्रों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा डॉक्टरल अध्येता वृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता, प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट [www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in) देखें। अंतिम तिथि: समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन।  
नोट:- दस में चार अध्येतावृत्तियां एन.सी.ई.आर.टी. के चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एवं मैसूर) में अध्ययनरत शोधार्थियों के लिए आरक्षित हैं।

टीएबीपी 21104/11/0005/2021

NEW DELHI  
THURSDAY  
NOVEMBER 05, 2020



NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL  
RESEARCH AND TRAINING  
SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110 016

**NCERT DOCTORAL FELLOWSHIPS - 2020**

Applications are invited for the award of NCERT Doctoral Fellowships in the field of education and other disciplines directly related to education. The last date for the receipt of application is **30 days** from the date of advertisement in newspaper. For detailed information about eligibility, procedure etc., please visit NCERT's website [www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in).

**Note:** There are total ten fellowships out of which 4 fellowships are reserved for Regional Institutes of Education (RIEs) one each for Ajmer, Bhopal, Bhubaneswar and Mysore.

davp 21104/11/0005/2021

## **NCERT DOCTORAL FELLOWSHIPS**

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an autonomous organization set up by the Government of India to advise and assist the Ministry of Human Resource Development at the center, and Education Departments of States/Union Territories in formulation and implementation of their policies and major programmes in the field of education, particularly for qualitative improvement of school education. The major constituent units of the NCERT are: (1) National Institute of Education (NIE), New Delhi, (2) Central Institute of Educational Technology (CIET), New Delhi, (3) Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE), Bhopal, (4) Regional Institute of Education (RIE), Ajmer, (5) Regional Institute of Education, Bhopal, (6) Regional Institute of Education, Bhubaneswar, (7) Regional Institute of Education, Mysore, and (8) North-East Regional Institute of Education (NERIE), Shillong. Among several activities, the NCERT and its constituent units undertake, aid, promote and coordinate research in areas related to school education.

The NCERT has brought out National Curriculum Framework 2005 (NCF-2005), which has enabled a fresh discourse and new ideas on education in India. With a focus on the child, NCF-2005 stresses the need for a perspective on how children learn and environments to enable this process within larger concerns of equality and justice in a democratic society. The document further emphasizes the understanding of curricular and pedagogic practices, and social and cultural factors that influence and mediate these processes in diverse contexts. There is a need to develop a body of knowledge that enhances our understanding of the concerns expressed in NCF-2005. Towards this end, the NCERT intends to offer fellowships, named as **NCERT Doctoral Fellowships**, for conducting research at the doctoral level.

### **Objectives of the Scheme**

- (a) To provide opportunities to young scholars to research the field of education from different disciplinary perspectives.
- (b) To build the knowledge base of education in the contemporary context.

### **Scope of the Scheme**

The NCERT Doctoral Fellowships are intended to enable young scholars to pursue doctoral research in education and other related disciplines. Doctoral Fellows can pursue their work in a recognized university/research institution of their choice. The NCERT encourages original thinking in conceptualization of the problem and use of innovative methodology in conduct of the research related to school education.

## **Priority Areas :**

Fellowship will be given for research pertaining to the following priority areas:

**Teacher Educators' Education:** Quality of pre-service and in-service teacher education programs, challenges and opportunities in teacher training, Review and Revision of curriculum/syllabi, assessment process of pre-service training, possible changes in practices teaching, models of teacher training, deterioration in training process. Internship issues related to teacher education, qualitative improvement in teachers and teacher educators, issues related to admission and recruitment of teacher educators.

**Education of the Disadvantaged:** Disadvantages of different kinds because of belonging to scheduled castes/scheduled tribes and backward castes, and minority communities, and due to gender, disability, and living in difficult circumstances.

**Classroom Processes and Practices:** Multi-grade teaching, over-crowded classrooms, medium of instruction, languages used in the class, teaching-learning process, teacher concerns, evaluation practices, disciplinary techniques, and space and time management.

**Curricular Areas:** Teaching of Science, Mathematics, Language, Social Sciences, Arts and Crafts, Work and Vocational Education, Environmental Sciences, and Health and Physical Education.

**Education for Peace:** Conflict and its resolution in different spheres, problem of violence, respect for cultural diversity, values for living in harmony with people and nature, child rights, and sustainable development.

**Psycho-social Development of Children:** Development of self, relationships and social skills, understanding and cognitive skills, communications skills, leadership, decision-making and coping with stress.

## **Any Burning Issue in School Education**

This will be judged on the basis of concept note/synopsis submitted by the candidate with their application. The candidate should clearly state how does the proposed research relates to above priority areas.

## **Eligibility**

1. Good Academic record with at least 60% marks at both Graduate and Post Graduate Levels.
2. Candidates should not be more than 35 years of age as on the last date of receipt of applications.

3. Candidates registered for Ph.D. degree in a recognized university/ or working toward their Ph.D. registration are eligible to apply.

**Other conditions:**

1. Four out of 10 fellowships are reserved for 4 Regional Institutes of Education (RIEs) one each for Ajmer, Bhopal, Bhubaneswar and Mysore. However, if no candidate from RIEs is found suitable, the fellowship will be offered to other suitable candidates.
2. The fellowships will be limited to extremely deserving candidates only. If suitable candidates are not available, Council may not select all 10 Fellows.
3. Candidate applying for Doctoral Fellowship should have either completed predoctoral research methodology course or enrolled/selected for such course for appropriate duration as approved by UGC. The fellowship will start after completion of the course and confirmed registration with the University for Ph.D. work.
4. Each Doctoral Fellow will be required to present a seminar at the end of each semester.
5. The NCERT Doctoral Fellow will be required to contribute to the RIE teaching programme, field research and/or the curriculum development and textbook development programmes of NCERT for 30 days in a year. The Fellow will be provided III AC fare for the travel, and accommodation in the RIE hostel.
6. The Doctoral Fellow will be under obligation to present public lecture on larger issues of public interest relevant to his/her doctoral research work, if so invited. The seminar may be held at RIEs or NCERT headquarter and the fellows will be given the III AC fare for travel for the same.
7. The candidate will submit with their applications, the CV of the research supervisor which should clearly indicate the research work done by them in the last five years. NCERT reserves the right to advise the candidate to chose a new research supervisor if needed. The candidate may select a supervisor/research guide approved by NCERT. The fellowship of the last three months and contingency of the third year will be released only after receipt of the thesis.

**Selection Procedure**

The procedure for short listing of applicants will be designed by NCERT. Shortlisted candidates will be required to appear for an interview, which may also include presentation of the proposals. Candidates will be paid second (sleeper) class train fare by the shortest route for attending the interview-cum-seminar.

## **Reservation of Seats**

The statutory provisions for reservation of seats will be applicable to the candidates belonging to different categories.

## **Fellowship Amount**

NCERT Doctoral Fellows will receive a fellowship of Rs.23,000/- per month (for Non-NET) and Rs.25,000/- per month (in case of NET qualified candidates) for a maximum period of three years from the date of permanent Ph.D. registration and/or date of selection in NCERT. They will also receive a contingency grant of Rs.10,000/- per annum during this period. The fellowship will commence from the date of joining by the candidate after furnishing the documents of permanent Ph.D. registration in NCERT and will terminate at the end of three years from the date of joining or with the submission of the doctoral thesis whichever is earlier.

## **Disbursement of Fellowship**

The NCERT will credit the monthly fellowship to the savings bank account of the Fellow. For this, each Fellow will be required to submit a 'Certificate of Attendance and Satisfactory Work Performance' to NCERT on a quarterly basis. Release of the monthly fellowship from second quarter onwards will be subject to receipt of the said certificate. Annual contingency grant to the extent of actual expenditure incurred but not more than Rs.10,000/- per annum will be credited to the account of the Fellow after receipt and scrutiny of the bills/vouchers submitted by the fellow duly signed and countersigned by the supervisor and Head of the Department.

## **Monitoring of Work**

Doctoral Fellows will be required to submit six monthly progress reports duly forwarded by their supervisors/Head of the Department and Research Advisors to NCERT. A Committee of Experts will review the progress. Also a research colloquium will be held annually where Fellows will present the progress of their research. If the progress of the research is found unsatisfactory, NCERT reserves the right to terminate the fellowship at any point of time.

## **Leave Rules**

Leave rules as prescribed in case of UGC Junior Research Fellowship will be applicable. Further, NCERT Doctoral Fellows will not accept any other remunerative assignment during the period of fellowship.

**Publication of the Thesis**

After the award of Ph.D. degree, the Doctoral Fellows will be required to submit a Hard bound copy of the thesis (along with a CD) to NCERT. NCERT will consider publication of the completed research in an appropriate form. The Fellow can apply for permission to publish his/her work elsewhere.

**Online application Procedure**

Application should be filled in the prescribed format available on the NCERT website ([www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in)). Only online application will be accepted.

The last date of receiving completed application is one month from the publication of the advertisement in the newspaper.

एनसीईआरटी  
डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

सूचना विवरणिका

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी  
NCERT

---

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली- 110016

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING  
SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI -110016



## एनसीईआरटी डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अपनी नीतियाँ एवं प्रमुख कार्यक्रमों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में केन्द्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को परामर्श व सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठन है। एनसीईआरटी के प्रमुख संघटक एकक हैं: (1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), नई दिल्ली; (2) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), नई दिल्ली; (3) पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल; (4) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, (आरआईई), अजमेर; (5) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; (6) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर; (7) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर; और (8) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एनईआरआईई), शिलांग। अपने अनेक कार्यक्रमों में एनसीईआरटी और इसके संघटक एकक विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय करते हैं।

एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005 तैयार की है जिसने भारत में शिक्षा पर नूतन प्रबंध और नए विचार प्रस्तुत किए हैं। बाल केन्द्रित एनसीएफ-2005 में इस बात की आवश्यकता और परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया है कि बच्चे कैसे सीखें और एक लोकतान्त्रिक समाज में समानता एवं न्याय के वृहत्त सरोकारों के भीतर इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाए। यह दस्तावेज़ पाठ्यचर्यात्मक और शैक्षिकपरिपाटियों तथा ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के समझने पर बल देता है जो विविध संदर्भों में इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हुए शामिल होते हैं। ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र तैयार करने की आवश्यकता है जो एनसीएफ-2005 में व्यक्त सरोकारों के लिए हमारी समझ का संवर्धन करें। इस प्रयोजन के लिए, एनसीईआरटी डॉक्टरल स्तर पर अनुसंधान का आयोजन करने के लिए **एनसीईआरटी डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ** नामक अध्येतावृत्तियाँ प्रस्तावित करती है।

### योजना के उद्देश्य :

- (अ) विभिन्न विषयक परिप्रेक्ष्यों से शिक्षा के क्षेत्र में युवा अध्येताओं को अनुसंधान के अवसर प्रदान करना।
- (ब) समकालीन संदर्भ में शिक्षा के ज्ञान आधार का निर्माण करना।

### योजना का कार्यक्षेत्र :

एनसीईआरटी डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ युवा अध्येताओं को शिक्षा एवं अन्य संबंधित विषयधाराओं में डॉक्टरल अनुसंधान के प्रयास में समर्थ बनाने की मंशा से दी जाती हैं। डॉक्टरल अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान में अपना अनुसंधान कार्य जारी रख सकते हैं। एनसीईआरटी विद्यालयी शिक्षा से संबंधित समस्या की संकल्पना के मूल विचार और नवाचारी शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान के आयोजन को बढ़ावा देती है।

## प्राथमिकता के क्षेत्र :

अध्येतावृत्तियाँ व्यक्त सरोकारों से उभरे निम्नवत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी:

- **शिक्षक शिक्षा :** सेवा-पूर्व एवं सेवा-कालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण में चुनौतियाँ और अवसर, पाठ्यचर्या/पाठ्यविवरण की समीक्षा एवं संशोधन, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण परिपाटियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण के मॉडलों में संभव परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रक्रिया का हास, अध्यापक शिक्षा से संबंधित इंटरशिप मुद्दे, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों में गुणवत्तात्मक सुधार, शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रवेश एवं भर्ती से संबंधित मुद्दे।
- **सुविधावंचित की शिक्षा :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होने के कारण तथा जैण्डर, विकलांगता और कठिन परिस्थितियों में रह रहे होने के कारण विभिन्न प्रकार के अहित।
- **कक्षागत प्रक्रियाएँ एवं परिपाटियाँ :** बहु-कक्षा शिक्षण, अत्याधिक भीड़-भरी कक्षाएँ, शिक्षा का माध्यम, कक्षा में उपयुक्त भाषाएँ, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक सरोकार, मूल्यांकन परिपाटियाँ, अनुशासनात्मक तकनीकें, और स्थान एवं समय प्रबंधन।
- **पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र :** विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, कला एवं शिल्प, कार्य एवं व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का शिक्षण।
- **शांति हेतु शिक्षा :** विवाद और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में इसका समाधान, हिंसा की समस्या, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, लोगों एवं प्रकृति में सामंजस्य से जीने के लिए मूल्य, बाल अधिकार और चिरकाल विकास
- **बच्चों का मानसिक सामाजिक विकास :** स्वयं, संबंधों एवं सामाजिक कौशलों का विकास, समझ एवं ज्ञानात्मक कौशल, संचार कौशल, नेतृत्व, निर्णयन और तनाव से निपटना।
- **विद्यालयी शिक्षा का कोई भी ज्वलंत मुद्दा।**

### पात्रता :

1. मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 60% अंकों सहित उत्तम अकादमिक रिकार्ड।
2. आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. पीएच.डी. उपाधि के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में पंजीकृत अथवा अपनी पीएच.डी. के पंजीकरण हेतु कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र है।

### अन्य शर्तें :

1. 10 अध्येतावृत्तियों में से कुल चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूरू में प्रत्येक के लिए एक आरक्षित हैं।
2. अध्येतावृत्तियाँ अत्याधिक सुपात्र अभ्यर्थियों के लिए सीमित होंगी। यदि समुचित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो परिषद् सभी 10 अध्येताओं का चयन नहीं भी कर सकती है।
3. डाक्टरल अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त अवधि के लिए डाक्टरल पूर्व अनुसंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम संपन्न अथवा ऐसे पाठ्यक्रम के लिए नामांकित/चयनित होना चाहिए। अध्येतावृत्ति पाठ्यक्रम के संपन्न होने और पीएचडी कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पुष्टिकृत पंजीकरण के उपरान्त प्रारंभ होगी।
4. प्रत्येक अध्येता को प्रत्येक समसत्र के अंत में एक सेमिनार प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
5. एनसीईआरटी डाक्टरल अध्येता द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र अनुसंधान और /अथवा वर्ष में 30 दिन के लिए एनसीईआरटी के पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यपुस्तक विकास में योगदान देना अपेक्षित होगा। अध्येता को यात्रा हेतु तृतीय श्रेणी वातानुकूलित किराया तथा आरआईई छात्रावास में आवास प्रदान किया जाएगा।
6. डाक्टरल अध्येता द्वारा निमंत्रण मिलने पर अपने डाक्टरल अनुसंधान कार्य से संबंधित सार्वजनिक हित के बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक व्याख्यान देना बाध्यकारी होगा। यह सेमिनार आरआईई या एनसीईआरटी मुख्यालय में आयोजित होगा और इसके लिए अध्येता को यात्रा का तृतीय श्रेणी वाता का किराया दिया जाएगा।
7. अपने आवेदन के समय अभ्यर्थी अनुसंधान पर्यवेक्षक का जीवनवृत्त प्रस्तुत करेगा जिसमें गत पांच वर्ष में उसके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य स्पष्ट विदित होगा। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को नए अनुसंधान पर्यवेक्षक को चुनने की सलाह देने का अधिकार एनसीईआरटी ने सुरक्षित रखा है। अभ्यर्थी एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाइड चुन सकता है। अंतिम तीन माह की अध्येतावृत्ति और तृतीय वर्ष की आकस्मिकता राशि शोध प्रबंध (थीसिस) की प्राप्ति के उपरान्त ही जारी की जाएगी।

### चयन प्रक्रिया :

आवेदकों के लघु सूचीयन की प्रक्रिया एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन की जाएगी। लघुसूची के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना अपेक्षित होगा जिसमें प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल हो सकता है। साक्षात्कार-सह-

संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को लघुत्तम मार्ग का द्वितीय (शयनयान) श्रेणी के रेल किराए का भुगतान किया जाएगा।

#### **स्थानों का आरक्षण :**

विभिन्न वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के स्थानों(सीटों) के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध होंगे।

#### **अध्येतावृत्ति की राशि :**

एनसीईआरटी डॉक्टरल अध्येताओं को प्रतिमाह रू. 23,000/- (गैर-नेट) और रू. 25,000/- (नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी) की अध्येतावृत्ति स्थायी पीएचडी पंजीकरण और एनसीईआरटी में चयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्राप्त होगी। उन्हें इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष रू. 10,000/- का आकस्मिकता अनुदान भी प्राप्त होगा। अध्येतावृत्ति अभ्यर्थी द्वारा एनसीईआरटी में स्थायी पीएचडी पंजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्यग्रहण की तिथि से आरंभ होगी और कार्यग्रहण की तिथि तीन वर्ष के अंत में अथवा शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत करने के साथ ही, जो भी पहले हो, से समाप्त हो जाएगी।

#### **अध्येतावृत्ति का वितरण :**

एनसीईआरटी मासिक अध्येतावृत्ति को अध्येता के बचत बैंक खाते में जमा करेगी। इसके लिए प्रत्येक अध्येता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता रखना अपेक्षित होगा। अध्येता से तिमाही आधार पर एनसीईआरटी को 'उपस्थिति और संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का जारी किया जाना उक्त प्रमाणपत्रकी प्राप्ति की शर्त पर होगा। किए गए वास्तविक खर्च, परन्तु अधिकतम रू 10000/- प्रति वर्ष तक का वार्षिक प्रासंगिकता अनुदान अध्येता द्वारा प्रस्तुत विधिवत् हस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिलों/वाउचरों की प्राप्ति एवं जांच के उपरान्त अध्येता के खाते में जमा किया जाएगा।

#### **कार्य का अनुवीक्षण :**

डॉक्टरल अध्येताओं को अपने पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष और अनुसंधान सलाहकार द्वारा विधिवत् अग्रेषित छमाही प्रगति रिपोर्ट एनसीईआरटी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। विशेषज्ञों की एक समिति प्रगति की समीक्षा करेगी। एक अनुसंधान गोष्ठी का भी वार्षिक आयोजन किया जाएगा जिसमें अध्येता अपने अनुसंधान की प्रगति को प्रस्तुत करेंगे। यदि यह रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है तो एनसीईआरटी को किसी भी समय अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

#### **अवकाश का नियम :**

यूजीसी के कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के मामले में निर्धारित अवकाश नियम लागू होंगे। इस अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एनसीईआरटी डॉक्टरल अध्येता किसी अन्य लाभकारी कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे।

### **शोध का प्रकाशन :**

पीएच.डी डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टरल अध्येताओं को शोध का एक हार्ड बाध्य प्रति एक (सीडी के साथ) एनसीईआरटी को जमा करना होगा। एनसीईआरटी पूरे कर लिए गए अनुसंधान का एक उचित रूप में प्रकाशन पर विचार करेगा। अध्येता अपने काम को कहीं और से प्रकाशित करवाने के लिए अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है।

### **आवेदन प्रक्रिया :**

आवेदन एनसीईआरटी वेबसाइट ([www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in)) पर ऑनलाइन उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भरे जाने चाहिए। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन से एक महीना है।